

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 329 OF 2024

IN THE MATTER OF:

RAJENDRA TYAGI APPLICANT


VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. RESPONDENTS

INDEX

NEXT DATE

Sl. No.	Particulars	Page
1.	Additional Affidavit	1-2
2.	<u>Annexure-4.</u> True copy of the Consent Establishment Dated 10.09.2024	1-8
3	<u>Annexure-2</u> True copy of the letter dated 17.09.2024,& 23.09.2024	9-16


(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)

Counsel for UP Pollution Control Board,
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518

Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHIORIGINAL APPLICATION NO. 329 OF 2024IN THE MATTER OF:
RAJENDRA TYAGI

..... APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

..... RESPONDENTS

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF U.P. POLLUTION
CONTROL BOARD

I, Deo Kumar Gupta, S/o. Shri B.P. Gupta, aged about 56 years, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Greater NOIDA, U.P. at present at New Delhi do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I in the abovenoted capacity am well conversant with the facts of the present case and have been authorized by the U.P. Pollution Control Board to file the present affidavit on its behalf.
2. That it is submitted that the U.P. Pollution Control Board has already filed response on 05.07.2024 in the abovenoted Original Application.
3. That there where 5 projects in Greater NOIDA area which have not obtained CTE from the U.P. Pollution Control Board.
4. That one project namely M/s. Analox Town Planners Pvt. Ltd. has obtained Consent to Establish on 10.09.2024. True copy of Consent to Establishment dated 10.09.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**.
5. That following four projects have not obtained Consent to Establish and started constructions:

- (i) M/s. Escon Pride Village (Promoters- M/s Escon Infra Realotors Pvt. Ltd.)



- (ii) M/s. Sahara Enclave,
- (iii) M/s. Dwarika City, (Promoter-M/s Bhagwati Developers/Ghaziabad Developerts), and
- (iv) M/s. P.P. State (Purushottam Estate) (Promoter-M/s. Purushottam Industries & Shri Purushottam Agarwal.

Therefore, U.P. Pollution Control Board has issued showcause notice to those projects to showcause as to why the Project should not be closed and why the Environmental Compensation be not imposed vide letters dated 17.09.2024, 23.09.2024, 23.09.2024 and 23.09.2024 respectively.

True copy of letters dated 17.09.2024, 23.09.2024, 23.09.2024 and 23.09.2024 respectively are enclosed herewith and marked as **Annexure-2 (Colly)**.


The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.


23.9.24
DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing material has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 23rd DAY OF SEPTEMBER, 2024 AT NEW DELHI.


23.9.24
DEPONENT



ATTESTED


RENU BALA REG No. 16727
NOTARY DELHI, EXP : 14/02/25
GOVERNMENT OF INDIA

2

23 SEP 2024



459

ANNEXURE-1

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

Validity Period :04/09/2024 To 03/09/2029

Category : RED

Application Id : 27732290

Ref No. - 218917/UPPCB/GreaterNoida(UPPCBRO)/CTE/GREATER NOIDA/2024 Dated:- 10/09/2024

To ,

Shri Ashish Goyal

M/s Analox Town Planners Pvt Ltd

Khasra No. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 56, Village - Gulistanpur, Surajpur Site C, Pargana Dadri, Tehsil Sadar, Greater Noida, District-Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh ,GAUTAM BUDDHA NAGAR,201306

GREATER NOIDA

Sub : Consent to Establish for New Unit/Expansion/Diversification under the provisions of Water (Prevention and control of pollution) Act, 1974 as amended and Air (Prevention and control of Polution) Act, 1981 as amended.

Please refer to your Application Form No.- 27732290 dated - 13/08/2024. After examining the application with respect to pollution angle, Consent to Establish (CTE) is granted subject to the compliance of following conditions :

1. Consent to Establish is being issued for following specific details :

A- Site along with geo-coordinates :

B- Main Raw Material :

Main Raw Material Details		
Name of Raw Material	Raw Material Unit Name	Raw Material Quantity
NA, as it is a Residential Plotted Colony project	Metric Tonnes/Day	0

C- Product with capacity :

Product Detail	
Name of Product	Product Quantity
NA, as it is a Residential Plotted Colony project	0
Plot area 67030 sqm.	0
Built-Up area 1400 sqm.	0
No DG sets proposed at site	0

D- By-Product if any with capacity :

By Product Detail			
Name of By Product	Unit Name	Licence Product Capacity	Install Product Capacity
NA, as it is a Residential Plotted Colony project	Metric Tonnes/Day	0	0

2. Water Requirement (in KLD) and its Source :

Source of Water Details		
Source Type	Name of Source	Quantity (KL/D)
Municipal Supply	Authority Supply	649.0

3. Quantity of effluent (In KLD) :

Effluent Details	
Source Consumption	Quantity (KL/D)
Domestic	325.0
aaa	324.0

4. Fuel used in the equipment/machinery Name and Quantity (per day) :

Fuel Consumption Details		
Fuel	Consumption(tpd/kld)	Use

5. For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

For any change in above mentioned parameters, it will be mandatory to obtain Consent to Establish again. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of U.P. Pollution Control Board.

2. You are directed to furnish the progress of Establishment of plant and machinery, green belt, Effluent Treatment Plant and Air pollution control devices, by 10th day of completion of subsequent quarter in the Board.
3. Copy of the work order/purchase order, regarding instruction and supply of proposed Effluent Treatment Plant/Sewerage Treatment Plant /Air Pollution control System shall be submitted by the industry till 03/09/2029 to the Board.
4. Industry will not start its operation, unless CTO is obtained under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 from the Board.
5. It is mandatory to submit Air and Water consent Application, complete in all respect, four months before start of operation, to the U.P. Pollution Control Board.
6. Legal action under water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 may be initiated against the industry With out any prior information, in case of non compliance of above conditions.

Specific Conditions:

4

1. This CTE is being granted for Land Area Development Project to M/s Analox Town Planners Pvt Ltd, Khasra No. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55 56, Village - Gulistanpur, Surajpur Site C, Pargana Dadri, Tehsil Sadar, Greater Noida, District-Gautam Budh Nagar for Plot Area-67030 sqm and Built up Area-1400 sqm. This CTE will be void if there is any change in above mentioned address or product. The applicant shall make an application along with prescribed fee for renewal/trial consent (CTO) at least 30 days before the operation of unit.
2. Prior to abstraction of ground water, unit shall obtain a No Objection Certificate from U.P. Ground Water Authority for abstraction of ground water and project shall provide the NOC of UPGWD for extracting ground water within 03 month, if required. The PP will be used only Municipal supply water as per proposal.
3. Project shall comply the provisions of Environment (Protection) Act 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
4. The project shall be obtained NOC form competent authority for disposal of rest treated water to nearby sewer line/drain.
5. At the project site a display board size 4x6 feet shall be installed to display the provisions of Construction and Demolition Rules 2016.
6. Project shall develop proper green belt and rain water harvesting system as per Authority guidelines. For green belt at least 8 feet height plants should be planted which shall be properly protected as proper irrigation and manuring arrangements shall be made. For the development of the green belt the guidelines issued vide Board office order no. H10405/220/2018/02 Dt.16-02-2018 shall be complied.
7. Project shall comply the provisions of notification dt. 07-10-2016 of Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Conservation GoI.
8. Project shall not start gaseous emission & sewage generation without prior consent of the board.
9. All construction activities shall be according to authority guidelines and after approval or approved plan.
10. This CTE is valid for the Establishment of unit only as mentioned above. In case of any change in production capacity, process, raw materials use etc. the unit will have to intimate the Board. For any enhancement of the above, fresh Consent to Establish has to be obtained from U.P. State Pollution Control Board.
11. The project shall comply with various Waste Management Rules as notified by MoEF & CC i.e. Plastic Waste Management Rules, 2016, Solid Waste Management Rules, 2016, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary) Rules, 2016, E-waste (Management) Rules,2016, Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
12. Project shall not use ground water in construction activities. Only STP treated water shall be used.
13. Project shall be developed/constructed as per approved map from competent authority and submit approved plan to Board.
14. Unit will put tarpaulin scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.
15. Storage of any construction material particularly sand will not be done on any part of street and roads in the projects area.
16. The construction material of any kind stored on site will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.
17. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or construction material does not get dispersed into the air or atmosphere in any form whatsoever.
18. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
19. The vehicles carrying construction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
20. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.
21. All medical aid, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material related to dust emission.
22. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.
23. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.
24. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.

25. Under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000, the industry shall take adequate measures for control of noise from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standards in respect of noise to less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A).
26. The project shall provide adequate arrangement for fighting the accidental leakages/discharge of any air pollutant/gas/liquid from the vessel, machinery etc. which are likely to cause fire hazard including environmental pollution.
27. Project shall submit first compliance report with respect to conditions imposed within 30 days of issue of this permission.
28. Project shall ensure carbon offsetting as per Government Order (Environment Department) issued vide letter no. H17259/ 183/55-2-2018/09(writ)/2016 dated 15.03.2018.
29. A good housekeeping shall be maintained both within the project and in the premises. All hoods, pipes, valves, sewers and drains shall be leaking proof. Floor washings shall be admitted into the effluent collection system only and shall not be allowed to find their way into storm drains or open areas.
30. Separate power connection with energy meter shall be provided for the Pollution Control Equipment's and record of power consumption and chemicals consumption for the operation of pollution control equipment shall be maintained separately.
31. The applicant shall furnish to the visiting officer and / or the Board any information regarding the construction, installation or operation of the effluent treatment system / air pollution control equipment / secured storage area of Hazardous Waste and such other particulars as may be pertinent for preventing and controlling pollution.
32. The industry shall comply with ambient air quality standards of SO₂ - 80 g/m³; NO_x - 80 g/m³, PM_{2.5} - 60 g/m³; PM₁₀ - 100 g/m³; and other parameters as notified by MoEF & CC, GOI vide notification No. GSR 826(E), dated 16.11.2009 during operational phase of the project.
33. Concealing the factual data or submission of false information / fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned in this order may result in withdrawal of this order and attract action under the provisions of relevant pollution control Acts.
34. The project is liable to pay compensation for any environmental damage caused by it, as fixed by the Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunal, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board.
35. Wind breaking wall will be constructed around the construction site.
36. All approach roads & in campus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.
37. For the development of the green belt the guidelines issued vide Board office order no. H10405/220/2018/02 Dt. 16-02-2018 shall be complied.
38. Project shall not establish Hot Mix/Ready Mix/Wet Mix Plant without prior permission of Board.
39. Unit shall comply with the CAQM (Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas) directions issued time to time regarding use of cleaner fuel.
40. Unit shall comply with the CAQM (Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas) directions regarding DG sets.
41. The Board reserves its right to modify above conditions or stipulate any additional conditions including revocation of this order, in the interest of environment protection. In case of violation of above-mentioned conditions or any public complaint the CTE shall be withdrawn.
42. Project shall install anti-smog guns and PTZ camera at site and ensure registration on dustapp.ucepc.in for self-declaration of dust control audit.
43. Unit shall comply with the CAQM (Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas) direction no. 76 and 77 regarding regulation of DG sets.
44. In the case of usage of ground water, the Project Proponent must obtain NOC from CGWA within one month from the date of issue of CTE, unless falling in exempted category as per MoJS Guidelines dated 24.09.2020 and amendments dated 29.03.2023 thereto.
45. Project shall obtain permission of competent authority to discharge surplus sewage into CSTP.
46. As per Project Report 649 KLD water (325 KLD Fresh Water and 324 KLD Treated water) will be required for domestic purposes. Project has proposed to installed STP of capacity 570 KLD for treatment of 456 KLD domestic effluent. Project shall ensure the compliance of Environment standards as per Environment (protection) Act 1986. Maximum quantity of treated water shall be used in gardening /flushing. The Unit will ensure the continuous and uninterrupted data supply from the OCEEMS to the CPCB server. The unit will follow the CPCB Guidelines for Utilization of Treated Effluent in Irrigation available in the CPCB web portal.
47. A Bank Guarantee of Rs. 10,00,000/- (Rs Ten lacs only) shall be submitted within 30 days including the above conditions which will be valid for two years otherwise this consent to establish shall be deemed to be withdrawn.

463

Please note that consent to Establish will be revoked, in case of, non compliance of any of the above mentioned conditions. Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions till 10/10/2024 in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise this Consent to Establish will be revoked.

Vivek
Roy

Digitally signed
by Vivek Roy CEO
Date: 2024.09.10 C-1.
01:36:41 +05'30'

Dated:- 10/09/2024

Copy To -

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Greater Noida

Vivek
Roy

Digitally signed
by Vivek Roy CEO
Date: 2024.09.10 C-1.
01:36:56 +05'30'

7



मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली
(Lifestyle For Environment)
जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेंकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेंकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइकिलिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाक्रीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग विजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर विजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ANNEXURE-2 (copy)

Ref No- H17366

/C-1/एन0जी0टी0-274/का0ब0नो0/2024

Date: 17/9/24

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Escon Pride Villa (Promoters- M/s Escon Infra Realtors Pvt Ltd.),
Khasra No. 167, 168, vill- Birondi, Sector- Pi-1&2,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
मो0 नं0-9917171141

यह कि M/s Escon Pride Villa (Promoters- M/s Escon Infra Realtors Pvt Ltd.),
Khasra No. 167, 168, vill- Birondi, Sector- Pi-1&2, Greater Noida, Gautam
Buddha Nagar जो कि आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे
इकाई कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अंतर्गत एक
कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम
यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक
02.09.2024 को परियोजना M/s Escon Pride Villa (Promoters- M/s Escon Infra
Realtors Pvt Ltd.), Khasra No. 167, 168, vill- Birondi, Sector- Pi-1&2, Greater
Noida, Gautam Buddha Nagar का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त
परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं किया गया है। परियोजना को स्थापनार्थ
सहमति प्राप्त किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 359/एन0जी0टी0-76/2024 दिनांक 04.07.2024
एवं पत्रांक 525/एन0जी0टी0-76/24 दिनांक 20.08.2024 द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये हैं, जिसका
प्रतिउत्तर अप्राप्त है। परियोजना द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में एण्टी स्मॉग गन, लो कॉस्ट
पी0एम0 सेन्सर, ग्रीन नेट से कवरिंग एवं जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी। परियोजना
द्वारा डस्ट ऐप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा
उक्त परियोजना का प्लाट एरिया 11000 वर्ग मीटर अवगत कराया गया, किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई भी
साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित परियोजना प्रतिनिधि द्वारा भू-अभिलेख, खसरा
खतौनी, प्राधिकरण से निर्गत आवंटन पत्र, स्वीकृत नक्शा अथवा अन्य विभागीय अनुमति की प्रति उपलब्ध
नहीं करायी गयी। निरीक्षण के दौरान परियोजना स्थल पर 250 के0वी0ए0 का 01 एकोस्टिक डी0जी0 सेट
स्थापित पाया गया, जिससे सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। अग्रेतर
परियोजना द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश
संख्या-76 के अनुपालन में डी0जी0 सेट्स को पी0एन0जी0 अथवा ड्यूल फ्यूल में परिवर्तित किये जाने हेतु
कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त परियोजना में निर्माण कार्य हेतु 04
बोरवेल/सबमर्सिबल पम्प स्थापित पाये गया। उक्त से स्पष्ट है कि परियोजना द्वारा सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा
दिये गये निर्देशों, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा
नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि M/s Escon Pride Villa (Promoters- M/s Escon Infra Realtors Pvt Ltd.),
Khasra No. 167, 168, vill- Birondi, Sector- Pi-1&2, Greater Noida, Gautam
Buddha Nagar द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन
कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण
निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक
दण्डनीय अपराध है।

.....2/-

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन *M/s Escon Pride Villa* (Promoters- *M/s Escon Infra Realtors Pvt Ltd.*), Khasra No. 167, 168, vill- Birondi, Sector- Pi-1&2, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न *M/s Escon Pride Villa* (Promoters- *M/s Escon Infra Realtors Pvt Ltd.*), Khasra No. 167, 168, vill- Birondi, Sector- Pi-1&2, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न *M/s Escon Pride Villa* (Promoters- *M/s Escon Infra Realtors Pvt Ltd.*), Khasra No. 167, 168, vill- Birondi, Sector- Pi-1&2, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत *M/s Escon Pride Villa* (Promoters-*M/s Escon Infra Realtors Pvt Ltd.*), Khasra No. 167, 168, vill- Birondi, Sector- Pi-1&2, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर अनुपालन की तिथि तक $EC=PlxNxRxSxLF=80x1x250x0.5x1.0=10,000/-$ प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

०१८

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन कराते हुये आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

०१८



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H 17649 /C-1/सा0-1929/का0ब0नो0/2024

Date: 23/09/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Sahara Enclave,
Village- Chapraula, G.T. Road, Near Harish Chandra Ka Bagh,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
मो0 नं0-9910182072

यह कि M/s Sahara Enclave, Village- Chapraula, G.T. Road, Near Harish Chandra Ka Bagh, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar जो कि आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/28 के अंतर्गत स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.09.2024 को परियोजना M/s Sahara Enclave, Village- Chapraula, G.T. Road, Near Harish Chandra Ka Bagh, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा परियोजना स्वामियों के नाम, पता इत्यादी के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी। सम्पूर्ण परियोजना के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्रतिनिधि द्वारा नहीं दी गयी। भूमि के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख निरीक्षण के दौरान उपलब्ध/अवलोकित नहीं कराये गये। उक्त परियोजना मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त ओ0ए0 कतिपय परियोजनाओं द्वारा स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है। उक्त परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान उक्त परियोजना को अन्य किसी भी सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदत्त अनुमति के सम्बन्ध में भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी। उक्त परियोजना को स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 363/एन0जी0टी0-76/2024 दिनांक 04.07.2024 एवं पत्रांक 524/एन0जी0टी0-76/24 दिनांक 20.08.2024 द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये हैं, जिनके प्रतिउत्तर अभी तक अप्राप्त है। निरीक्षण के दौरान परियोजना द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में एण्टी स्मॉग गन, लो कॉस्ट पी0एम0 सेन्सर, ग्रीन नेट से कवरिंग एवं जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परियोजना द्वारा डस्ट ऐप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त परियोजना के प्लॉट एरिया के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी और न ही उक्त के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित परियोजना प्रतिनिधि द्वारा भू-अभिलेख, खसरा खतौनी, प्राधिकरण से निर्गत आवंटन पत्र, स्वीकृत नक्शा अथवा अन्य विभागीय अनुमति की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। परियोजना में कोई भी कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट व वाटर सप्लाई हेतु कॉमन व्यवस्था प्रस्तावित नहीं है। उक्त से स्पष्ट है कि परियोजना द्वारा मा0 सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा निर्गत निर्देशों, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि M/s Sahara Enclave, Village- Chapraula, G.T. Road, Near Harish Chandra Ka Bagh, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय कृत्य है।

11

.....2/-

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन M/s Sahara Enclave, Village- Chapraula, G.T. Road, Near Harish Chandra Ka Bagh, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न M/s Sahara Enclave, Village- Chapraula, G.T. Road, Near Harish Chandra Ka Bagh, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न M/s Sahara Enclave, Village- Chapraula, G.T. Road, Near Harish Chandra Ka Bagh, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत M/s Sahara Enclave, Village- Chapraula, G.T. Road, Near Harish Chandra Ka Bagh, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध मा10 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर अनुपालन की तिथि तक $EC=PlxNxRxSxLF = 80x1x250x0.5x1.0=10,000/-$ प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन कराते हुये आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1
o/c



469
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H 17648/C-1/सा0-1930/का0ब0नो0/2024

Date: 23/09/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s Dwarika City,
(Promoter-M/s Bhagwati Developers/ Ghaziabad Developers),
Village- Chhapraula, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
मो0 नं0-9910182072

यह कि M/s Dwarika City, (Promoter-M/s Bhagwati Developers/ Ghaziabad Developers), Village- Chhapraula, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar जो कि आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अंतर्गत स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.09.2024 को परियोजना M/s Dwarika City, (Promoter-M/s Bhagwati Developers/ Ghaziabad Developers), Village- Chhapraula, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भूमि के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध/अवलोकित नहीं कराये गये। परियोजना में पृथक-पृथक क्षेत्रफल के लगभग 300 आवासीय प्लॉट विकसित किया जाना अवगत कराया गया है। उक्त परियोजना मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त ओ0ए0 कतिपय परियोजनाओं द्वारा स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है। उक्त परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान उक्त परियोजना को अन्य किसी भी सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदत्त अनुमति के सम्बन्ध में भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी। उक्त परियोजना को स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 357/ एन0जी0टी0-76/ 2024 दिनांक 04.07.2024 एवं पत्रांक 526/एन0जी0टी0-76/24 दिनांक 20.08.2024 द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये हैं, जिनके प्रतिउत्तर अप्राप्त है। निरीक्षण के दौरान परियोजना द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में एण्टी स्मॉग गन, लो कॉस्ट पी0एम0 सेन्सर, ग्रीन नेट से कवरींग एवं जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उक्त परियोजना द्वारा डस्ट ऐप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त परियोजना का प्लॉट एरिया लगभग 5.0 हेक्टेयर (12.5 एकड़/65 बीघा) अवगत कराया गया, किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित परियोजना प्रतिनिधि द्वारा भू-अभिलेख, खसरा खतौनी, प्राधिकरण से निर्गत आवंटन पत्र, स्वीकृत नक्शा अथवा अन्य विभागीय अनुमति की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। उक्त से स्पष्ट है कि परियोजना द्वारा सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा दिये गये निर्देशों, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि M/s Dwarika City, (Promoter-M/s Bhagwati Developers/ Ghaziabad Developers), Village- Chhapraula, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय कृत्य है।

.....2/-

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन M/s Dwarika City, (Promoter-M/s Bhagwati Developers/ Ghaziabad Developers), Village- Chhapraula, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न M/s Dwarika City, (Promoter-M/s Bhagwati Developers/ Ghaziabad Developers), Village- Chhapraula, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न M/s Dwarika City, (Promoter-M/s Bhagwati Developers/ Ghaziabad Developers), Village- Chhapraula, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत M/s Dwarika City, (Promoter-M/s Bhagwati Developers/ Ghaziabad Developers), Village- Chhapraula, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के आधार पर अनुपालन की तिथि तक $EC=PI \times N \times R \times S \times LF = 80 \times 1 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 = 10,000/-$ प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

o/c

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन कराते हुये आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

o/c



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H 17647/C-1/सा0-1931/का0ब0नो0/2024

Date: 23/09/2024

सेवा में,

पंजीकृत

M/s P.P. State (Purushottam Estate),
Promoter- M/s Purushottam Industries &
Sri Purushottam Agarwal,
Village- Dhoom Manikpur, G.T. Road,
Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
मो0 नं0-9310201569

यह कि M/s P.P. State (Purushottam Estate), Promoter- M/s Purushottam Industries & Sri Purushottam Agarwal, Village- Dhoom Manikpur, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar जो कि आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अंतर्गत स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0-329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 13.09.2024 को परियोजना M/s P.P. State (Purushottam Estate), Promoter- M/s Purushottam Industries & Sri Purushottam Agarwal, Village- Dhoom Manikpur, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भूमि के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख निरीक्षण के दौरान उपलब्ध/अवलोकित नहीं कराये गये। उक्त परियोजना मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-329/2024 राजेन्द्र त्यागी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेशों के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त ओ0ए0 कतिपय परियोजनाओं द्वारा स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है। उक्त परियोजना द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान उक्त परियोजना द्वारा अन्य किसी भी सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रदत्त अनुमति के सम्बन्ध में भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी। उक्त परियोजना को स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 360/एन0जी0टी0-76/2024 दिनांक 04.07.2024 एवं पत्रांक 523/एन0जी0टी0-76/24 दिनांक 20.08.2024 द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये हैं, जिनके प्रतिउत्तर अभी तक अप्राप्त है। निरीक्षण के दौरान परियोजना द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में एण्टी स्मॉग गन, लो कॉस्ट पी0एम0 सेन्सर, ग्रीन नेट से कवरिंग एवं जल छिड़काव की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परियोजना द्वारा डस्ट ऐप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त परियोजना का प्लाट एरिया लगभग 55,000 गज (लगभग 45987 वर्ग मी0) अवगत कराया गया, किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित परियोजना प्रतिनिधि द्वारा भू-अभिलेख, खसरा खतौनी, प्राधिकरण से निर्गत आवंटन पत्र, स्वीकृत नक्शा अथवा अन्य विभागीय अनुमति की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। उक्त से स्पष्ट है कि परियोजना द्वारा मा0 सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा निर्गत निर्देशों, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

यह कि M/s P.P. State (Purushottam Estate), Promoter- M/s Purushottam Industries & Sri Purushottam Agarwal, Village- Dhoom Manikpur, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन कर आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय कृत्य है।

.....2/-

15

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।


अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन M/s P.P. State (Purushottam Estate), Promoter- M/s Purushottam Industries & Sri Purushottam Agarwal, Village- Dhoom Manikpur, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न M/s P.P. State (Purushottam Estate), Promoter- M/s Purushottam Industries & Sri Purushottam Agarwal, Village- Dhoom Manikpur, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न M/s P.P. State (Purushottam Estate), Promoter- M/s Purushottam Industries & Sri Purushottam Agarwal, Village- Dhoom Manikpur, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत M/s P.P. State (Purushottam Estate), Promoter- M/s Purushottam Industries & Sri Purushottam Agarwal, Village- Dhoom Manikpur, G.T. Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गार्डडलाईन के आधार पर अनुपालन की तिथि तक $EC=PlxNxRxSxLF = 80x1x250x0.5x1.0=10,000/-$ प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई स्वामी का होगा।


सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन कराते हुये आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

473

OA 329 of 2024 Rajendra Tyagi Vs Union of India

From: Pradeep Misra (pradeepmisra@yahoo.com)

To: akashvashishtha.office@gmail.com; bhanwar09jadon@gmail.com

Date: Tuesday, September 24, 2024 at 01:55 PM GMT+5:30

Sir

Please find attached the document

With Regards,

(PRADEEP MISRA)



DocScanner 24-Sept-2024 1-42 pm.pdf

195.3kB



Rajendra Tyagi.pdf

1.3MB